न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 398/2019

मामराज पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण, निवासीः वार्ड नंबर 12, कटारियों वाली ढाणी, ग्राम डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र श्री गजानन्द
2. कल्याणसहाय पुत्र रामेश्वर
3. द्वारकाप्रसाद पुत्र रामेश्वर
4. राधेश्याम पुत्र रामेश्वर
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासीः वार्ड नंबर 12, कटारियों वाली ढाणी, ग्राम डाबडी, पुलिस थाना चौमू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.07.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (उत्तर), जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 46/2019 उनवानी मामराज बनाम राजेन्द्र अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री सुरेश कुमार चाहर एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय दिनांकः 26.12.2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (उत्तर) जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 46/2019 बउनवानी मामराज बनाम राजेन्द्र में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर में भूमि खसरा नंबर 31, 32, 33, 35, 44, 45, 60 एवं 63 कुल किता 8 कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर स्थित है। विवादग्रस्त भूमि के लगवा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि की सींव डोल से छेडछाड करते रहते है तथ प्रार्थी की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते रहते है एवं जबरिया प्रार्थी की भूमि में से रास्ता निकालने का प्रयास करते है जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी विवादग्रस्त आराजीयात का काबिज खातेदार स्वामी है जिस कारण प्रार्थी को उपरोक्त आराजीयात का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है। अभी कुछ दिन पूर्व ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर आये एवं प्रार्थी की भूमि में प्रवेश कर रास्ता निकालने में आमादा हो गये जिस पर प्रार्थी ने ऐतराज किया तो अप्रार्थीगण उस समय तो प्रार्थी की आराजीयात से चले गये किन्तु जाते–जाते प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर रास्ता निकालने की धमकी देकर चले गये। इस कारण दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना आवश्यक हुआ है। यदि अप्रार्थीगण को रोका नहीं गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है। अंत में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी द्वारा किये जा रहे आराजीयात के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा कारित न करे, ना ही विवादित भूमि पर बनी मिट्टी की कच्ची डोल को तोडे, ऐसा ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 30.07.2019 के माध्यम से प्रार्थी का प्रार्थना आंशिक स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की भूमि में रास्ता मानकर अपीलान्ट को ही स्थगन आदेश से पाबंद किये जाने में महान कानूनी भूल कारित की है चूंकि वादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है जिससे रेस्पोडेन्ट का कोई संबंध सरोकार नहीं हैं। विधिनुसार रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो गलत है। इस कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.07.2019 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गहन परीक्षण एवं साक्ष्य सबूत के आधार पर आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट का रास्ता मानते हुये अपीलान्ट को रास्ते बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से सही व विधिनुसार पाबंद किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट ने मात्र रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से आधारहीन तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि प्रार्थी/अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.07.2019 को आंशिक स्वीकार करते हुये अपीलान्ट्स को भी रास्ते बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि विवादग्रस्त आराजीयात के प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है जिनके द्वारा अप्रार्थीगण के विवादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी एवं सींव डोल सीमा चिन्हों में तोडफोड किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाने के कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये जाने हेतु वाद पत्र के साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिनका अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा खंडन कर मौके पर प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता अप्रार्थीगण के बुजुर्गान के जमाने से कायम होना बताया। जिसके बाबत एक सादा कागज पर हुई लिखावट की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई जो कि अपंजीकृत व अपूर्ण मुद्रांकित होने से विधि अनुरूप मानने योग्य नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी इत्यादि में प्रार्थीगण/अपीलान्ट की भूमि में से कोई रास्ता कायम होना नहीं पाया जाता है एवं ना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा आज दिनांक तक सक्षम न्यायालय के समक्ष रास्ते के अनुतोष हेतु कोई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर चाराजोही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी रिकॉर्डेड खातेदार की भूमि में से बिना रिकॉर्डेड रास्ते के मात्र अप्रार्थीगण के जवाब में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुये बगैर मौके पर रास्ते कायम होने की सत्यता की जांच हेतु तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगाये बिना ही अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में अपीलान्ट को पाबंद किया जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि अपीलान्ट भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार व काश्तकार है जिसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के हितों व अधिकारों के विरूद्व जाकर रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व गलत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2019 को गलत निर्णय पारित किया गया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (उत्तर) जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2019 खारिज किया जाता है। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि अपीलान्ट के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करे, सींव डोल इत्यादि में तोडफोड व परिवर्तन न करे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर